

कार्यवृत्त

मंगलवार, 29 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 18 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-10

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा कल दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दिए अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था दिए जाने का अनुरोध करने लगे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह कहे जाने पर कि अविश्वास का प्रस्ताव नियमानुसार 10 बजे से पूर्व दिया जाना चाहिए था इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते हुए नारे बाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा नारे बाजी करते रहे।

इस पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन का कार्य 12:00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

12:00 बजे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों द्वारा जो कल 17 फरवरी, 2014 को अविश्वास का प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, इस विषय पर वे चर्चा के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित करते हैं।

मंत्रि परिषद् पर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरम्भ की गई।

निम्न सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

श्री मदन कौशिक

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01:48 बजे भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

“यह सदन मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट करता है” की सूचना पर चर्चा भोजनावकाश के बाद श्री बंशीधर भगत, मा0 सदस्य विधान सभा के भाषण से आरम्भ हुई, तथा निम्न सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया:-

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक',

श्रीमती शैलारानी रावत,

(04:03 बजे श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि चर्चा का समय 02:00 घण्टे और बढ़ाया जाता है।)

माननीय नेता सदन ने आग्रह किया कि चर्चा 05:00 बजे तक समाप्त कर ली जाये क्योंकि एक माननीय सदस्य को चिकित्सा हेतु 06:00 बजे बाहर जाना है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी

श्री हरक सिंह रावत

नेता सदन ने अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर भाषण दिया। श्री अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन की प्रक्रिया हेतु सचिव को निदेशित किया कि मतगणना के उपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्ताव के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं जब कि प्रस्ताव के विपक्ष में 40 वोट पड़े और प्रस्ताव गिर गया।

सभापति, आश्वासन समिति ने उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2013-14) का उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा फतेपुर की पूर्णतया क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राजीव शर्मा, निवासी ग्राम फतेपुर, ग्राम सभा-फतेहपुर, पो0 हरबर्टपुर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग रामबाग नहर की क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राज कुमार, निवासी-ग्राम रामनगर, ग्राम सभा एटनबाग, पो0 हरबर्टपुर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत लांघा तथा ग्रामसभा तौलीभूड़ के मजरे भूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम भूड़, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट, देवराना, कड़ाई, सीला मोटर मार्ग डामरीकरण सुधारीकरण के सम्बन्ध में” श्री श्यामलाल कुक्रेती, निवासी-ग्राम मरोड़ा, पो0 किमसार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मेंहूवाला खालसा के मजरे डांडा जंगल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कुंवर सिंह चौहान, निवासी ग्राम डांडा जंगल, ग्राम सभा मेंहूवाला, पो0 अम्बाड़ी तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के ग्राम पय्या में छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री रतन राम निवासी ग्राम पय्या पो0 भिलकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त कटापत्थर नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बाड़वाला, ग्राम सभा डूमेट, ग्राम सभा पपड़ियान, ग्राम सभा कटापत्थर, ग्राम सभा बावनधार ग्राम सभा भलेर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। इसी बीच विपक्ष के लोग ‘वेल’ में आकर नारे बाजी करने लगे।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त नहर शीर्ष एवं एप्रोच चैनल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम कटापत्थर, पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के काण्डा, सुनारगांव क्षेत्र में हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में” श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी-ग्राम सुनारगांव, पो0 काण्डा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल पाईप लाईन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती मथुरा देवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित द्वारा

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के रास्ते से पांडव खोली प्राथमिक पाठशाला जाने वाले रास्ते एवं उसके नीचे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार/चकडाम बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम सभा गगोडू, कांटा, ग्वाड को जोड़ते हुए पांडवखोली तक लिंक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री दशरथ कुमार, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बैरागना में कनोला नाम तोक की जमीन के किनारे सुरक्षा/ बेस दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री सुरेश कुमार, निवासी ग्राम व पो0 लंगासू, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बीना के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में उच्चिकृत किये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 18 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2014

18 मंगलवार

विधायी कार्य

1. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
5. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

19 बुधवार

नियम-105 का प्रस्ताव

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाये।” (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

20 गुरुवार

नियम-54 की सूचना

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।”

(15 मिनट)

2. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों हेतु संचालित राज्य की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों को एक ही सूची मान्य हो।”

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।”

(15 मिनट)

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास भी मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा “जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।”

(15 मिनट)

5. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये है।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारों, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी रिक्लड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।”

(15 मिनट)

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लोगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरस पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।”

(15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

- (1) पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1620381 हजार (रुपये एक सौ बासठ करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (2) श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1935266 हजार (रुपये एक सौ तिरानबे करोड़ बावन लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

- (3) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 13159811 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (4) परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 778196 हजार (रुपये सतहत्तर करोड़ इक्यासी लाख छियानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (5) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12688852 हजार (रूपये एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (6) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3193717 हजार (रूपये तीन सौ उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से-

“तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण के संबंध में।” श्री नवप्रभात, माननीय सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

“विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के संबंध में।” श्री संजय गुप्ता, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मेलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियंत्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, तथा

जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।